नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

शिवपुरी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरबी कुमार ने एक नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए उसे 10 साल की कैद व 2 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में पैरवी डीपीओ संजीव कुमार गुप्ता ने की। मीडिया प्रभारी एडीपीओ कल्पना गुप्ता ने बताया कि बैराड़ निवासी फेरन कुशवाह 1 मई 2016 को एक नाबालिग का अपहरण करके उसे अपने साथ ले गया था। बाद में आरोपी फेरन ने नाबालिग से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्जकर चालान न्यायालय में पेश किया। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।

महिला से छेड़छाड़ करने वाले को सजा

पोहरी न्यायालय के जेएमएफसी न्यायाधीश एमडी रजक ने एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 2 साल की कैद व 1 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में पैरवी एडीपीओ विशाल काबरा ने की। मीडिया प्रभारी एडीपीओ कल्पना गुप्ता ने बताया कि आरोपी अमर सिंह बराई निवासी छर्च ने 5 मई 2015 को एक महिला के साथ घर के अंदर घुसकर छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया था।

अपहरण और दुष्कर्म करने पर युवक को दस वर्ष की सजा

किशोरी का अपहरण कर निम्बाहेड़ा ले गया था

रतलाम। नईदुनिया प्रतिनिधि

न्यायालय ने किशोरी का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए जाने पर अभियुक्त प्रकाश पिता जगला चरपोटा निवासी ग्राम खिरपुर थाना बाजना को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5 (एल)/6 के तहत दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उस पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया। फैसला मंगलवार को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मृत्युंजयसिंह ने सुनाया।

अभियोजन के अनुसार शिवगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीय किशोरी 14 अप्रैल 2016 को अपने भाई के साथ मेला देखने राजापुरा माताजी गई थी। वहां से अभियुक्त प्रकाश किशोरी को शादी करने का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने घर खिरपुर ले गया था। दूसरे दिन खिरपुर से किशोरी को वह राजस्थान के निम्बाहेड़ा ले गया था और वहां एक झोपड़ी में रखा था। वह उससे वह दुष्कर्म करता रहा। इससे किशोरी गर्भवती हो गई थी। इधर किशोरी की तलाश के बाद भी नहीं मिली तो उसके भाई ने शिवगढ़ थाने में उसके अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। खोजबीन के बाद 16 मई 2017 को किशोरी को निम्बाहेड़ा से बरामद कर लाया गया था। पुलिस ने बाद में अभियुक्त प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया। प्रकरण में शासन की तरफ से पैरवी उप संचालक अभियोजन एसके जैन ने की।

सभी सजा साथ चलेगी

उप संचालक अभियोजन जैन ने बताया कि अभियुक्त प्रकाश को भादंवि की धारा 363 व 366 में क्रमशः तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई गई। उस पर दोनों धाराओं में क्रमशः सौ-सौ रुपए का जुर्माना भी किया गया। सभी सजा साथ-साथ चलेगी।

दैनिक भास्कर २०/१२/२०१७

11 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने वाले को 14 साल की सजा, जुर्माना

जघन्य व सनसनीखेज अपराध के मामले में विशेष न्यायालय का दूसरा फैसला

भास्कर संवाददाता | खंडवा

घर में घुसकर 11 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले को 14 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। उस पर 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया। फैसला मंगलवार को पंचम अपर सत्र न्यायाधीश दीपाली शर्मा की अदालत ने दिया। जघन्य और सनसनीखेज अपराधों के त्वरित निराकरण के लिए गठित विशेष न्यायालय का यह दूसरा फैसला है। मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी आरएस भदौरिया ने की। घटना 24 मार्च 2017 को हरसूद थाना क्षेत्र के आशापुर की है।

घटना दिनांक को बालिका के माता-पिता काम पर गए थे। भाई भी किसी कारण घर से बाहर था। इस दौरान गांव का ही त्रिलोक पिता नर्मदाप्रसाद बालिका के घर पहुंचा। बालिका को अकेली पाकर टीवी देखने के बहाने घर में घुस आया। बालिका के साथ दुष्कर्म किया। इसी दौरान बालिका का पिता घर लौटा। उसे देखकर त्रिलोक ने चाय पत्ती लेने आने का बहाना बनाया। इसके बाद वह गांव से भी भाग गया। बालिका ने मां और परिजन को पूरी घटना बताई। इसके बाद हरसूद थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। तत्कालीन टीआई विश्वदीप सिंह परिहार ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर दूसरे दिन ही खेतों से त्रिलोक को गिरफ्तार कर लिया।

जघन्य, सनसनीखेज की श्रेणी में किया चिह्नित- पुलिस और न्यायालय दोनों ने मामले को जघन्य और सनसनीखेज की श्रेणी में चिह्नित किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिर्फ नौ महीने में ही आरोपी को सजा सुना दी गई। न्यायालय ने भादवि की धारा 376 और 5/6 पास्को एक्ट के तहत त्रिलोक को 14 साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जघन्य और सनसनीखेज मामलों के त्वरित निराकरण के लिए गठित न्यायालय द्वारा आरोपी को सजा सुनाई जाने का यह दूसरा मामला है। इससे पहले अगस्त में भी नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में सजा सुनाई गई थी। यह मामला भी हरसूद थाना क्षेत्र का था।